भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 295
दिनांक 5 फरवरी, 2024

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि

295 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

तंजावुर जिले के लिए ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल आदि द्वारा आवंटित और वितरित की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि की राशि और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रम (पीएसयूज) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत पहचाने गए शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर कार्यकलाप करते हैं जिनमें स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेय जल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण अनुकूल पहलों और विकलांगों तथा बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान तंजावुर जिले में तेल और गैस क्षेत्र के पीएसयूज में से ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने सीएसआर क्रियाकलापों के तहत 610.26 लाख रूपए खर्च किए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान तंजावुर जिले में इन तेल और गैस क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा आबंटित और खर्च की गई सीएसआर निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रूपए में)

तेल और गैस पीएसयूज	**आबंटित सीएसआर निधि**	**खर्च की गई सीएसआर निधि**
ओएनजीसी	481.36	481.36
आईओसीएल	66.46	66.46
बीपीसीएल	65.55	61.82
एचपीसीएल	0.62	0.62
योग	**613.99**	**610.26**
स्रोत-ओएनजीसी,आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल)		

*****